# प्रेस नोट 23.11.2020

**संगठित अपराधियों के विरूद्ध मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अवैध देशी शराब निमार्ण/बिक्री में संलिप्त तीन गैंगेस्टर अपराधियों की अवैध व अपराध कारित कर अर्जित सम्पत्ति लगभग 02 लाख 25 हजार रूपये किमती (चार मोटरसाइकिल वाहन) जनपद मऊ पुलिस द्वारा जब्त–**

संगठित अपराध/अपराधियों के विरूद्ध मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.11.2020 को गैंगेस्टर अपराधी क्रमशः रमेश यादव उर्फ मुलायम यादव पुत्र महादेव यादव निवासी दलपतपुर थाना मधुबन जनपद मऊ, उदय भान यादव उर्फ उदयी पुत्र प्रधान यादव निवासी जमुनीपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ, रामलखन राजभर पुत्र अमीचन्द्र राजभर निवासी करौदी नरायनपुर थाना मधुबन जनपद मऊ द्वारा अपराध कारित कर अर्जित सम्पत्ति लगभग 02 लाख 25 हजार रूपये किमती (चार मोटरसाइकिल वाहन) थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जब्त किया गया।

**1. रमेश यादव उर्फ मुलायम यादव पुत्र महादेव यादव निवासी दलपतपुर थाना मधुबन जनपद मऊ–**

**जब्त संपत्ति विवरण–**

**1.** हिरो होण्डा सुपर स्प्लेण्डर यूपी 54 एई 6038।
**2.** हिरो प्लेजर यूपी 54 एएच 5356। **( कुल किमत 01 लाख 15 हजार रूपये)**

**अपराधिक इतिहास रमेश यादव उर्फ मुलायम यादव–**

**1.** मु0अ0सं0 310/18 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 272,273 भादवि0 थाना दोहरीघाट।
**2.** मु0अ0सं0 412/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना दोहरीघाट।

**2. उदय भान यादव उर्फ उदयी पुत्र प्रधान यादव निवासी जमुनीपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ–**

**जब्त संपत्ति विवरण–**

**1.** हिरो होण्डा सुपर स्प्लेण्डर यूपी 54 एके 7533। **( 60 हजार रूपये)**

**अपराधिक इतिहास उयय भान यादव उर्फ उदयी–**

**1.** मु0अ0सं0 310/18 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 272,273 भादवि0 थाना दोहरीघाट।
**2.** मु0अ0सं0 372/19 धारा 60/60ए/63 आबकारी अधिनियम व 272, 273 भादवि0 थाना दोहरीघाट।
**3.** मु0अ0सं0 412/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना दोहरीघाट।

**3. रामलखन राजभर पुत्र अमीचन्द्र राजभर निवासी करौदी नरायनपुर थाना मधुबन मऊ–**

**जब्त संपत्ति विवरण–**

**1.** स्प्लेण्डर प्रो मोटर साइकिल यूपी 53 बीएल 4273। **(50 हजार रूपये)**

**अपराधिक इतिहास उदय भान यादव उर्फ उदयी –**

**1.** मु0अ0सं0 310/18 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 272,273 भादवि0 थाना दोहरीघाट।
**2.** मु0अ0सं0 418/20 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना दोहरीघाट।
**3.** मु0अ0सं0 412/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना दोहरीघाट।

**लूटेरा गैंग का सदस्य व दिनांक 05.01.2020 को थाना दोहरीघाट क्षेत्रान्तर्गत अदरक व्यवसायी से लूट में सामिल गैंगेस्टर अपराधी रमेश पटेल पुत्र सुख्खु पटेल की अपराध व अवैध कार्य से अर्जित सम्पत्ति एक अपाचे मोटरसाइकिल (कीमत लगभग 90 हजार रूपये) जनपद मऊ पुलिस द्वारा जब्त–**

संगठित अपराध/अपराधियों के विरूद्ध मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.11.2020 को गैंगेस्टर अपराधी रमेश पटेल पुत्र सुख्खु पटेल निवासी काखभार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ की अपराध कारित कर एवं अवैध रूप से अर्जित संपत्ति लगभग 90 हजार रूपया (टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल यूपी 50 बीएस 7134) मोटरसाइकिल को अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा जब्त किया गया।

उपरोक्त रमेश पटेल पुत्र सुख्खु पटेल निवासी काखभार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ लूटेरा गैंग का सदस्य है जिसके विरूद्ध थाना दोहरीघाट में मु0अ0सं0 17/20 धारा 419,420,467,468,471 भादवि0 व मु0अ0सं0 18/20 धारा 3/7/25 आयुद्य अधिनियम तथा मु0अ0सं0 392/20 धारा 392/411 भादवि पंजीकृत है, जिसके बाद मु0अ0सं0 447/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी थी। उपरोक्त कार्यवाही गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत की गयी है।

**जब्त संपत्ति विवरण–**

1. टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल यूपी 50 बीएस 7134। **(90 हजार रूपये)**

**अपराधिक इतिहास रमेश यादव उर्फ मुलायम यादव–**

1. मु0अ0सं0 17/20 धारा 419,420,467,468,471 भादवि0 थाना दोहरीघाट।
2. मु0अ0सं0 18/20 धारा 3/7/25 आयुद्य अधिनियम थाना दोहरीघाट।
3. मु0अ0सं0 392/20 धारा 392/411 भादवि थाना दोहरीघाट।
4. मु0अ0सं0 447/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना दोहरीघाट।

**90 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद, 03 व्यक्ति गिरफ्तार–**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अवैध शराब कारोबार/कारोबारियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.11.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **चिरैयाकोट** पुलिस द्वारा कमरवा के पास से सुनील गुप्ता पुत्र रामबेनी गुप्ता निवासी कमथरी थाना चिरैयाकोट के कब्जे से 35 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब, थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा नरसिंह राम पुत्र रामअवतार निवासी इटौरा डोरीपुर, कन्हैया साहनी पुत्र लालचन्द्र निवासी नयापुरा कर्थिजाफरपुर थाना कोपागंज दोनों के कब्जे से क्रमशः 15–40 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना सम्बन्धित पर आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

**एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–**

आज दिनांक 23.11.2020 को थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान हनुमान घाट के पास से मु0अ0सं0 588/20 धारा 323,504,506,308,325,120 बी भादवि0 में वांछित अभियुक्त पिज्जू पुत्र सुरेन्द्र निवासी हरिकेशपुरा थाना कोतवाली मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

**शांति भंग की आशंका में 21 व्यक्ति गिरफ्तार–**

आज दिनांक 23.11.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा पुरूषोत्तम, अच्छेलाल निवासीगण पडरिया थाना दोहरीघाट, थाना **घोसी** पुलिस द्वारा अशोक, रामबली निवासीगण केशुपार, आशुतोष, अभय निवासीगण लखनी मुबारकपुर, संदीप निवासी दादनपुर अहिरौली थाना घोसी, थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा राजकुमार निवासी सहबरपुर, जयशंकर निवासी सेमराजपुर, अमरजीत निवासी बसारिकपुर थाना हलधरपुर, थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा वीरेन्द्र, रामसागर निवासीगण ढाढाचवर थाना मुहम्मदाबाद, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा रमाशंकर, किशन, चन्द्रशेखर, विक्रम निवासीगण गरथौली थाना सरायलखंसी, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा रामसमुझ, रामकरन, श्यामनरायण, प्रमोद निवासीगण करौदी नरायणपुर थाना मधुबन, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा दिनेश निवासी ताहिरपुर थाना रानीपुर मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

**आज दिनांक 23.11.2020 को पुलिस झण्डा दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले द्वारा पुलिस लाइन में पुलिस के झण्डे का ध्वाजारोहण किया गया।** इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ के संदेश को पढ़कर सुनाया गया तथा संदेश के अनुकरण हेतु पुलिसकर्मियों को प्रेरित किया गया।

पुलिस ध्वज हमारे गौरवशाली अतीत का जीवन्त प्रतीक भी है। पुलिस विभाग की अहर्निश जन सेवा, कर्तव्यपरायणता, पराक्रम, शौर्य तथा आत्म बलिदान की अनगिनत गाथाओं के बाद पुलिस ध्वज की प्राप्ति होती है।

उ0प्र0 पुलिस विभाग के वीर जवानों के शौर्य, कर्तव्यपरायणता एवं उत्कृष्ठ कर्तव्यनिष्ठा के फलस्वरूप ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी द्वारा सर्वप्रथम उ0प्र0 पलिस को पुलिस ध्वज प्रदान किया गया था। उ0प्र0 पुलिस पूरे भारत का प्रथम राज्य पुलिस बल है, जिसे उसके अप्रतिम योगदान के फलस्वरूप पुलिस कलर अर्थात पुलिस ध्वज प्रदान किया गया है, जो हम सब के लिए गर्व का विषय है।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षणाधीन श्री नितिन कुमार, प्रतिसार निरीक्षक श्री विजय कुमार सिंह तथा पुलिस लाइन के अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।